समाहरणालय, मधेपुरा
(राजस्व शाखा)

पत्रांक–8/विविध (नियम संशोधन) 23–12/2014–1082(8)/रा0,

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,
विनोद कुमार झा,
संयुक्त निदेशक,
कृषि गणना।

सेवा में,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 02-09-16

विषय – भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा–4 (4) एवं धारा–4 (5) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवैध एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न जिलों से यह जानने की जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1091/2013 महेश्वर मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–24.06.2014 को पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के द्वारा रैयती भूमि से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हुए भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में आदेश पारित किया जाएगा अथवा नहीं ? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त आदेश पारित करने के बाद भी अनेकों भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं द्वारा रैयती भूमि से संबंधित विवादों के मामले में आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में अनेकों व्यथित पक्षों द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं द्वारा पारित गलत आदेशों की प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजगीर के न्यायालय वाद सं0–19/2012–13 में दिनांक–04.08.2012 को पारित आदेश के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश की मांग की गयी है। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा अपने पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत आदेश रैयती भूमि से संबंधित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यथित पक्ष के द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के न्यायालय में अपीलवाद दायर किया गया, जिसे आयुक्त द्वारा अस्वीकृत/खारिज कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजगीर के भूमि विवाद वाद सं0–19/12–13 में पारित आदेश तथा अपीलवाद वाद सं0–566/12 में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश की मांग की गयी है।

2. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का Section-4 (4) एवं 4 (5) में निम्नलिखित प्रावधान अंकित किया गया है :–

**Section-4(4)**

"Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3) hereinabove, if no provision is made in any of the Acts contained in Schedule-1 for determination of rights of allottee/settlee or raiyat and claimed right is yet to be determined, it shall be open to the Competent Authority to finally determine such right."

**Section-4(5)**

"The Competent Authority, wherever it appears to him that the case instituted before him involves complex question of adjudication of title, he shall close the proceeding and leave it open to parties to seek remedies before the competent Civil Court."

P.T.O.

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि **Section-4 (4)** में allottee/settlee or raiyat and claimed right को निर्धारित करने हेतु वादों को सुनने एवं उसपर आदेश पारित करने की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को प्रदत्त की गयी। उसी प्रकार **Section-4 (5)** में complex question of adjudication of title के अलावा रैयती जमीन से संबंधित अन्य विवादों का निष्पादन से संबंधित आदेश पारित करने की शक्ति उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को प्रदत्त की गयी।

3. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 स0-1091/2013 में सुनवाई के पश्चात् दिनांक-24.06.2014 को निम्न आदेश पारित किया गया :-

".....The said Sub-section (4) requires to be held to arbitrary and to that extent unconstitutional

Sub-section (5) of Section 4 of the Act of 2009 empowers the Competent Authority to allow the parties to approach the Civil Court for adjudication of complex issues of title. Although the said Sub-section (5) is directory, should be read as mandatory. It shall be the duty of the Competent Authority to refer the complex issues of adjudication of title to the concerned Civil Court having jurisdiction to entertain and adjudicate such disputes

For the aforesaid reasons, this Petition is allowed. Clauses (e), (g), (i) of Sub-section (1) Section 4 of the Act of 2009 are read down to the extent indicated hereinabove. Sub-section (4) of Section 4 of the Act of 2009 is held to be arbitrary and ultra vires Article 14 of the Constitution and unconstitutional to that extent. The said Sub-section (4) of Section 4 is, therefore, quashed. Sub-section (5) of Section 4 of the Act of 2009 will be read as mandatory provision as indicated hereinabove."

"..... In Sub-section (5), the legislature itself says that all cases involving issues of title per se involve complex questions and which cannot be decided in a summary proceeding, being the ambit and scope of the Act of 2009, and thus under all circumstances where issues relating to title arise would have to be mandatorily closed by the Competent Authority.

In other words, the said phrase occurring in sub-section (5) of Section 4 of the Act of 2009 envisages that no sooner than a question of adjudication of title which is inherently a complex one is involved, the Competent Authority is required to invariably close the proceeding. The word 'complex' has not been used in contradistinction to the word 'simple'

In above view of the matter, i am of the considered opinion that Sub-section (5) of Section 4 of the Act of 2009 strictly forbids the Competent Authority to entertain matters involving questions of adjudication of title. I am of the view that the Competent lAuthority, irrespective of nature of cases involving issues of title, is bound to close the proceeding for want of jurisdiction and leave it open to the parties to seek remedies before the competent Civil Court."

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भूमि विवाद निराकरण की धारा-4(4), जिसमें रैयती जमीन से संबंधित विवादों को निष्पादित करने की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को प्रदत्त की गयी है, को असंवैधानिक एवं ultra vires घोषित करते हुए उक्त धारा को quash कर दिया गया है जबकि धारा-4(5) के संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि रैयती भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को सुनने एवं उस पर आदेश पारित करने का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को नहीं होगा। जब भी रैयती जमीन से संबंधित विवाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के संज्ञान में लाया जायेगा तो वैसी स्थिति में उसे mandatorily close कर दिया जायेगा।

4. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समस्तीपुर जिला से संबंधित एक अन्य मामले सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-10919/2013 में दिनांक-18.09.2014 को आदेश पारित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर के द्वारा रैयती भूमि से संबंधित

वाद में जो आदेश पारित किया गया वह गलत है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निम्नवत है :—

"..............................In Maheshwar Mandal's case (supra), this Court clearly held that proceedings under the Act cannot be inititated in respect of the lands, which are not settled or allotted. The learned single judge in the instant case has taken note of the same and set aside the order passed by the learned DCLR as without jurisdiction. We are in clear agreement with the order passed by the learned single judge.................."

5. इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग से भी परामर्श प्राप्त किया गया है। विधि विभाग के द्वारा अपने परामर्श में निम्न तथ्य अंकित किया गया है :—

"सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1091/2013 में पारित आदेश की तिथि के पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा–4(4) के तहत पारित आदेश का अनुपालन यदि लंबित है, का अनुपालन वर्तमान में किया जाना वैधानिक प्रतीत नहीं होता है।"

6. विधि विभाग के द्वारा इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से भी राय प्राप्त करने हेतु संचिका उनके कार्यालय को भेजा गया। प्रधान अपर महाधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में दिया गया राय निम्नवत है :—

".............................. In CWJC No.1091/2013, the Hon'ble High Court vide judgment dated-24.06.2014 held that Sub-Section (4) of Section 4 of the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009 (Bihar Act of 2009) held to be arbitrary, ultra vires Article 14 of the constitutional and unconstitutional to that extent. Accordingly, the said Sub-Section (4) of Section 4 was quashed.

The consequence would be that from very inception Sub-Section (4) of Section 4 would be deemed to be ultra vires and unconstitutional.

In view of the aforesaid finding, I agree with the above view of the Law Department and endorse the same."

7. ज्ञातव्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की ओर से एस0एल0पी0 दायर किया गया है। जब तक उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को रैयती भूमि से संबंधित विवादों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करना है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के द्वारा रैयती भूमि से संबंधित विवादो में पारित आदेश का कार्यान्वयन भी स्थगित रहेगा।

अनुरोध है कि सभी उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार को निर्देश निर्गत किया जाय कि वे उपरोक्तानुसार ही कार्रवाई करें। यदि वे उपरोक्त के विरूद्ध जाकर मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ करते है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। विभाग के उपर्युक्त अभिमत से अपने सभी अधिनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक 585-2 / रा0 दिनांक- 07-09-2016
प्रतिलिपि:- निदेशानुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं सद्‌भ्य अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
राजस्व, मधेपुरा।
7/9/16